

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 41 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 09/03/2024

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक-150/Confdl./2024/II-3-1/2024, जबलपुर दिनांक 23/02/2024 के द्वारा सुश्री निधू श्रीवास्तव व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की नवीन पदस्थापना होने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता है:-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुश्री वांदना सोनी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. EX A No- 01-15 2. Civil MJC No- 01-75	सुश्री निधू श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश त्योंथर
2.	सुश्री मोहिनी भदौरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. RCS-A+B No- 201-650 2. EX A+B No- 01-20	

नोट:- उक्त अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों में से संबंधित यदि कोई कनेक्टेड प्रकरण है, वह प्रकरण स्वतः अंतरित माना जावेगा।

2. कार्यविभाजन आदेशानुसार मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्री देवेन्द्र सिंह पाल 09वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय को होने के फलस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रमेश रंजन चौबे तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक-67/2018 म0प्र0 राज्य वि0 देवेन्द्र पाठक व अन्य को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री देवेन्द्र सिंह पाल 09वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

Sd/-
(सुबोध कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 1341 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 09/03/2024

प्रतिलिपि:-

1. तृतीय/नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा एवं अतिरिक्त/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर को निर्देशित किया जाता है कि सूची अनुसार प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय से प्राप्त/प्रेषित करना/सुनिश्चित करें।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/त्योंथर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
4. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)